सोशल मीडिया पत्र संख्याः- 476/प्रेसनोट/2020

सेल

जनपद

आजमगढ़

दिनांकः- 03 नवम्बर 2020

प्रेस विज्ञप्ति

थाना-महराजगंज

आगजनी के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31/10/2020 श्री राम पुत्र बासु यादव निवासी ग्राम महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ ने थाना महराजगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 31.10.2020 को दिन के लगभग 08.30 बजे अभियुक्त गण द्वारा एक राय होकर मेरे मड़यी में आग लगाकर फूँक दिये जिससे मेरी मड़यी में रखा सारा समान व 60000 रू तथा 7 थान जेवर जल गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-225/20 धारा 147,436 भादवि बनाम 07 अभियुक्तो के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र दसई सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ प्रकाश में आया।

पुलिस अधीक्षक महोदय सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.11.2020 को प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में उ0नि0 श्री हौसिला सिंह मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 225/2020 धारा 147 , 436 IPC में विवेचना से प्रकाश में आये आरोपी सुरेन्द्र यादव पुत्र दशई सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद हैं। उक्त सूचना पर उ0नि0 श्री हौसिला सिंह मय हमराहियान के मौके पर पहुँचकर देखा कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा है। हम पुलिस जन द्वारा एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम सुरेन्द्र यादव पुत्र दसई निवासी महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में अवगत कराकर समय करीब 09.40 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 225/20 धारा 147, 436 भादवि थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त

सुरेन्द्र यादव पुत्र दसई सा0 महाजी देवारा जदीद थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री हौसिला सिंह मय हमराही थाना महराजगंज जनपद आजमगढ।

थाना गम्भीरपुर दुष्कर्म का अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 02.11.20 को थाना विभुतिपुर जनपद समस्तीपुर बिहार हाल पता वेस्ट दिल्ली की आवेदिका/पीड़िता द्वारा थाना गम्भीरपु पर शिकायत दर्ज कराई गयी मेरे साथ 5 वर्षों से अभियुक्त द्वारा शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा तथा अभियुक्त के घर जाने पर मारपीट कर भगा दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 187/20 धारा 376,323,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ बनाम 1.अखिलेश चौहान पुत्र चन्द्रेश चौहान, 2.चन्द्रेश चौहान पुत्र अज्ञात निवासीगण उगाई फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित । वारण्टी की गिरफ्तारी तथा सदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 03.11. 2020 को निरीक्षक अपराध श्री अंशुमान यदुवंशी मय हमराह का0 पवन कुमार निर्मल, का0 महेश प्रसाद द्वारा मु0अ0सं0 187/20 धारा 376,323,504,506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त अखिलेश चौहान पुत्र चन्द्रेश चौहान ग्राम उगाये फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ को मोहिउद्दीन अम्बेडकर तिराहा से समय करीब 09.55 बजे गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृतअभियोग

मु0अ0सं0 187/20 धारा 376,323,504,506 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारअभियुक्त

अखिलेश चौहान पुत्र चन्द्रेश चौहान ग्राम उगाये फैजुल्लाहपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

नि0अ0 श्री अंशुमान यदुवंशी मयहमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ।

थाना जहानागंज

सरकारी कार्य में बाधा डालने व सरकारी कर्मचारी से मार-पीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.9.2020 को श्री राम यादव पुत्र स्व0 लक्खन राम यादव ग्राम हुसैनगंज थाना सिधारी जनपद आजमगढ हाल पता क्षेत्रीय लेखपाल सेवटा सदर जनपद आजमगढ के लिखित सूचना पर मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वाछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 03.11.2020 को व0उ0िन0 विकास चन्द पाण्डेय मयहमराहियान द्वारा मु0अ0सं0 201/2020 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित वाछिंत अभियुक्त मुनीब राम पुत्र सहाबदीन ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ को समय करीब 12.30 बजे अभियुक्त को धान के खेत से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0स0 201/20 धारा 147/353/332/504/506/336/427 भादवि व 7 सीएलए एक्ट

आपराधिक इतिहास

- 1.मु0अ0स0 10/97 धारा 323/504/325 भादवि
- 2.मु0अ0स0 148/18 धारा 147/148/149/323/504/506/395/452 भादवि
- 3.धारा 237/19 धारा 323/504/506/308 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त

मुनीब राम पुत्र सहाबदीन ग्राम सेवटा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1. वरिष्ठ उ०नि० विकास चन्द पाण्डेय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ ।
- 2.का० दिलराज सिंह थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।
- 3.हो0गा0 सुरेन्द्र गिरी थाना जहानागंज जनपद आजमगढ।

<u>थाना- महराजगंज</u> <u>मारपीट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

मवेशी की बात को लेकर अभियुक्त द्वारा जयराम पुत्र स्व0 सतई सा0 देवारा त्रिपुरारपुर आयमा थाना महराजगंज जिला आजमगढ़ के भाई हिरराम को गाली गुप्ता देते हुए दौड़ाकर घर में घुसकर लाठी डण्डे से बुरी तरह मारने पीटने लगा , जिससे हिरराम का मौके पर बेहोश हो गये व बीच बचाव करने आने जयराम व उसके भाई श्रीराम व जयराम के लड़के इन्द्रजीत को भी मारा पीटा। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-224/20 धारा 147 , 149, 323, 352, 452, 308, 504 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोदय सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व मे प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे के नेतृत्व में आज दि नांक 03.11.2020 को उ0नि0 मय हमराहीगण के साथ थाना से रवाना होकर तलाश वांछित/वारंटी तथा देखभाल क्षेत्र पेंडिंग विवेचना मु030सं0 224/20 धारा 147 , 149, 323, 352, 452, 308, 504 IPC में मामूर थे कि जरिये मुखबीर सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राकेश यादव पुत्र रामलखन निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ कटान बाजार के पास मौजूद हैं, मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते कटान बाजार के पास आये जहाँ पर एक व्यक्ति गुमटी के पास खड़ा दिखाई दिया। जिसे मुखबिर के इशारे पर एकबारगी घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम राकेश यादव पुत्र रामलखन सा0 देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ बताया , अभियुक्त उपरोक्त को मु030सं0 224/20 धारा 147 , 149, 323, 352, 452,308, 504 भादवि का अपराध बताकर समय करीब 10.30 बजे सुबह हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0-224/20 धारा 147, 149, 323, 352, 452,308, 504 IPC

गिरफ्तार अभियुक्त

राकेश यादव पुत्र रामलखन निवासी ग्राम देवारा त्रिपुरारपुर आइमा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मेंउ0नि0 हौसिला प्रसाद सिंह, हे0का0 उमाकान्त यादव, हे0का0 रमेश कुमार, का0 राकेश यादव

<u>थाना तरवां</u>

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारन्टी/ की गिरफ्तारी के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन में व प्र0नि0 थाना तरवां के निर्देशन में उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह के विनावर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन व तलाश वांछित अभियुक्त में कस्बा उचहुवां में मौजूद थे तथा अपराध नियत्रंण व अपराधियों की धर ने आकर बताया कि मु0अ0सं0 130/20 धारा पकड़ हेतु आपस में राय व चर्चा कर रहे थे कि तभी मुखबिर 147/148/323/506/307 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इस समय तितिरा पुल पर बैठा है ऐसा लग रहा है कि वह कोई संगीन घटना करने की फिराक में है क्योंकि उसके पास असलहा भी है कि मुखबिर की बातों पर विश्वास करके पुलिस बल उचहुवां से प्रस्थान कर तितिरा पुल के लिए चल दिये । तितिरा पुल से 100 मीटर पहले गाड़ी रोककर खेतों के रास्ते अपने को छिपते छिपाते हिकमत अमली से पुल के नजदीक पहुचकर देखा गया तो एक व्यक्ति पुल के बाये पटरी पर पुल पर बैठा हुआ है तभी उसकी नजर एकाएक पुलिस वालों पर पड़ गयी और एकाएक रायपुर के तरफ भागने का प्रयास किया कि 50 , 60 कदम जाते जाते हमराही कर्मचारीगण की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम अरविन्द यादव पुत्र छिनक ग्राम बीबीपुर थाना तरवां आजमगढ़ बताया जो मु0अ0सं0 130/2020 धारा 147/148/323/506/307 भादवि में नामजद अभियुक्त है उससे भागने का कारण पुछा गया तो वह हाथ जोड़कर माफी मागने लगा बताया कि साहब मेरे पास 315 बोर का नाजायज तमंचा व एक कारतूस है इसी डर से आपलोगो को देखकर भागने लगा जो आप लोगो ने पकड़ लिया। उसकी जामातालाशी ली गयी तो एक अदद तमंचा 315 बोर व तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। पकड़े गये व्यक्ति से तमंचा कारतूस

के संबंध में अधिकार पत्र मांगा गया तो कोई भी कागजात दिखाने से कासीर रहा । चुिक अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/25 आम्स एक्ट का दण्डनीय अपराध है व अभियुक्त उपरोक्त संबंधित मु0अ0सं0 130/20 धारा 147/148/323/506/307 भादिव में वांछित चल रहा है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 173/2020 धारा 3/25 A ACT पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

अरविन्द यादव पुत्र छिनक ग्राम बीबीपुर थाना तरवां आजमगढ़ उम्र करीब 27वर्ष

बरामदगी

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग -

मु0अ0सं0 173/2020 धारा 3/25 A ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0 130/2020 धारा 147/148/323/506/307 भादवि

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 गोपाल सिंह मय हमराह

थाना कन्धरापुर

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये गये अभियान वांछित / गैंगेस्टर चोर/ लुटेरा/ नकबजन के वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन मे दिनांक 01.11.20 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/20 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त योगेन्द्र कुमार पुत्र टिल्ठू पासवान नि0 कोहड़ी खुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ को आज दिनांक 03.11.20 को समय 06.10 बजे उसके घर ग्राम कोहड़ी खुर्द से गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण -गिरफ्तार अभियुक्त से पुछताछ करने पर गलती की माफी मांगते हुए बता रहा है कि दिनांक 22.10.20 को मृतक रामविजय पुत्र अवतारू सरोज निवासी ग्राम कोहडी खुर्द जनपद आजमगढ़ के साथ मैं अपनी मोटर साइकिल नं0 UP50AM8178 से रामविजय की ससुराल नदौरा थाना जियनपुर, आजमगढ़ गये थे वापसी में हम दोनो ने रास्ते में ठेके पर शराब भी पिया था और वापस गांव के बाहर मूलचन्द्र के हैण्ड पम्प के पास पानी पीने रामविजय जाने लगा तो मुझसे धक्का लग गया और रामविजय हैण्ड पम्प के चबुतरे की पक्की सिमेन्टेड मेडी पर सर के बल गिर गया और उसको चोट लग गयी तथा कुछ देर के बाद वह बेहोश हो गया। मैं अपनी मोटर साइकिल लेकर अपने घर चला गया। बाद में पता चला कि उसके परिजन उसका इलाज कराने अस्पताल ले गये है और इलाज के दौरान दिनांक 01.11.20 को उसकी मृत्यु हो गयी है।

गिफ्तार अभियुक्त

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र टिल्ठू पासवान नि0 कोहड़ी खुर्द थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

1. मु०अ०स० १५४/२० धारा ३०४ भादवि -थाना कन्धरापुर

बरामदगी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. उ0नि0 राकेश कुमार सिंह थाना कन्धरापुर
- 2. का० मो० अली– थाना कन्धरापुर
- 3. का० प्रदीप कुमार थाना कन्धरापुर